<u>फुलवरिया जलाशय योजना, नवादा से संबंधित वादों एवं अन्य भू–अर्जन वादों की समीक्षा हेतु दिनांक–07.01.2026 को प्रधान सचिव, जल संसाधन विभाग की अध्यक्षता में सिंचाई भवन, पुराना सचिवालय, पटना में अपराह्न 3 बजे आयोजित बैठक की कार्यवाही:–</u>

बैठक में उपस्थित पदाधिकारीगण:–

1. श्री संतोष कुमार मल्ल, प्रधान सचिव, जल संसाधन विभाग, बिहार, पटना।
2. श्री के0डी0 प्रौज्जवल, अपर सचिव, जल संसाधन विभाग, बिहार, पटना।
3. श्री आजीव वत्स राज, अपर सचिव, राजस्व एवं भूमि सुधार विभाग, बिहार, पटना।
4. श्री अमरेन्द्र कुमार, अधीक्षण अभियंता, योजना एवं मोनिटरिंग अंचल–3, जल संसाधन विभाग, बिहार, पटना।
5. श्री बलिराम प्रसाद, उप सचिव, जल संसाधन विभाग, बिहार, पटना।
6. श्री आलोक गुप्ता, विधि पदाधिकारी, जल संसाधन विभाग, बिहार, पटना।
7. जिला भू–अर्जन पदाधिकारी, नवादा।
8. सहायक जिला भू–अर्जन पदाधिकारी, नवादा।
9. श्री प्रेम प्रकाश, कार्यपालक अभियंता, पुनपुन बाढ़ सुरक्षा प्रमंडल, अनीसाबाद, पटना।
10. श्री कुमार ब्रजेश, कार्यपालक अभियंता, सिंचाई प्रमंडल, रजौली, नवादा।
11. श्री निलेश कुमार, प्रशाखा पदाधिकारी, प्रशाखा–29, जल संसाधन विभाग, बिहार, पटना।

- नवादा जिला भू–अर्जन वाद संख्या–321/1986 से उद्भूत प्रथम अपील संख्या–106/2017 (बिहार राज्य बनाम प्रभु साव एवं अन्य) को दिनांक–08.09.2025 को माननीय उच्च न्यायालय, पटना द्वारा Dismiss कर दिया गया है। उक्त क्रम में भू–अर्जन निदेशालय, राजस्व एवं भूमि सुधार विभाग, बिहार, पटना के पत्रांक–06, दिनांक–02.01.2026 के आलोक में राजस्व एवं भूमि सुधार विभाग के साथ हुई बैठक में यह बात प्रकाश में आई कि माननीय उच्च न्यायालय, पटना में दायर प्रथम अपील Time Barred होने के आधार पर खारिज किया गया है।
- दिनांक–07.01.2026 की बैठक में जिला भू–अर्जन पदाधिकारी, नवादा द्वारा बताया गया है कि संबंधित तत्कालीन विशेष भू–अर्जन पदाधिकारी, पटना सुरक्षा योजना, पटना द्वारा वादों से संबंधित सभी अभिलेख जिला भू–अर्जन पदाधिकारी, नवादा को उपलब्ध नहीं कराया गया है, जबकि कार्यपालक अभियंता, पुनपुन बाढ़ सुरक्षा प्रमंडल, अनिसाबाद, पटना द्वारा अवगत कराया गया है कि तत्कालीन विशेष भू–अर्जन पदाधिकारी, पटना बाढ़ सुरक्षा योजना, पटना के पत्रांक–783 दिनांक–29.08.2019 द्वारा फुलवरिया जलाशय योजना से संबंधित भू–अर्जन अभिलेख एवं विभिन्न तरह के वादो की संचिकाएँ तत्कालीन जिला भू–अर्जन पदाधिकारी, नवादा को उपलब्ध कराया जा चुका है।
- ज्ञातव्य हो कि भू–अर्जन एवं पुनर्वास निदेशालय तथा सभी विशेष भू–अर्जन कार्यालयों को दिनांक– 01.10.2019 के प्रभाव से बंद किये जाने के प्रसंग मे जल संसाधन विभाग के आदेश ज्ञापांक–1120, दिनांक–18.09.2019 एवं ज्ञापांक–4579, दिनांक–17.12.2019 के माध्यम से विघटन के पूर्व न्यायिक निर्णयों के आधार पर लंबित जयघोष से संबंधित अभिलेख संबंधित विशेष भू–अर्जन पदाधिकारी द्वारा संबंधित जिला भू–अर्जन पदाधिकारी को हस्तगत करा दिये जाने का निदेश तथा न्यायिक निर्णयों के आधार पर लंबित जयघोष की राशि का भुगतान से संबंधित मामलों मे समुचित कार्रवाई अब राजस्व एवं भूमि सुधार विभाग, बिहार, पटना द्वारा किया जाना संसूचित है।

- जिला भू–अर्जन पदाधिकारी, नवादा आवश्यकतानुसार कार्यपालक अभियंता, सिंचाई प्रमंडल, रजौली, नवादा एवं कार्यपालक अभियंता, पुनपुन बाढ़ सुरक्षा प्रमंडल, अनिसाबाद, पटना से समन्वय स्थापित कर विभिन्न भू–अर्जन वादों में युक्तियुक्त कार्रवाई सुनिश्चित करेंगे। कार्यपालक अभियंता, सिंचाई प्रमंडल, रजौली, नवादा एवं कार्यपालक अभियंता, पुनपुन बाढ़ सुरक्षा प्रमंडल, अनिसाबाद, पटना को निदेशित किया जाता है कि वे जिला भू–अर्जन पदाधिकारी, नवादा को इस निमित्त अपेक्षित सहयोग प्रदान करेंगे।
- फुलवरिया जलाशय परियोजना, नवादा से संबंधित वादों में जल संसाधन विभाग की ओर से आवश्यक कार्रवाई निमित्त कार्यपालक अभियंता, सिंचाई प्रमंडल, रजौली, नवादा को नोडल पदाधिकारी नामित करने का निर्णय लिया गया है।
- विभागान्तर्गत सभी भू–अर्जन वादों में त्वरित कार्रवाई निमित्त अधीक्षण अभियंता, योजना एवं मोनिटरिंग, अंचल–2, पटना एवं अधीक्षण अभियंता, योजना एवं मोनिटरिंग, अंचल–3, पटना को उनके परिक्षेत्राधीन संबंधित वादों की समीक्षा एवं अनुश्रवण हेतु नोडल पदाधिकारी नामित करने का निर्णय लिया गया है। साथ ही अधीक्षण अभियंता, योजना एवं मोनिटरिंग, अंचल–2, पटना एवं अधीक्षण अभियंता, योजना एवं मोनिटरिंग, अंचल–3, पटना द्वारा इन मामलों से संबंधित प्रतिवेदन सभी मुख्य अभियंता, जल संसाधन विभाग, बिहार से प्राप्त कर प्रत्येक सप्ताह SOM की बैठक में उपस्थापित करने का निर्णय लिया गया है।
- अधीक्षण अभियंता, योजना एवं मोनिटरिंग, अंचल–1, पटना को निदेशित किया गया है कि अधीक्षण अभियंता, योजना एवं मोनिटरिंग, अंचल–2, पटना एवं अधीक्षण अभियंता, योजना एवं मोनिटरिंग, अंचल–3, पटना द्वारा उपलब्ध कराए गए प्रतिवेदन को समेकित कर प्रत्येक सप्ताह आयोजित होने वाली SOM की बैठक में प्रदर्शित करेंगे।

धन्यवाद ज्ञापन के साथ समीक्षा बैठक सम्पन्न हुई।

ह०/–
(संतोष कुमार मल्ल)
प्रधान सचिव

ज्ञापांकः– 29/मुक०–02 बी0–01/2026– 244 पटना, दिनांकः– 14/01/26

प्रतिलिपिः– प्रधान सचिव, राजस्व एवं भूमि सुधार विभाग, बिहार, पटना के आप्त सचिव/ प्रधान सचिव, जल संसाधन विभाग, बिहार, पटना के आप्त सचिव/निदेशक, भू–अर्जन राजस्व एवं भूमि सुधार विभाग, बिहार, पटना/अभियंता प्रमुख, बाढ़/अभियंता प्रमुख, सिंचाई /जिला पदाधिकारी, नवादा/सभी मुख्य अभियंता, जल संसाधन विभाग, बिहार/ अधीक्षण अभियंता, योजना एवं मोनिटरिंग, अंचल–1/अंचल–2/अंचल–3, पटना/ जिला भू–अर्जन पदाधिकारी, नवादा/विधि पदाधिकारी, जल संसाधन विभाग/कार्यपालक अभियंता, सिंचाई प्रमंडल, रजौली, नवादा/कार्यपालक अभियंता, पुनपुन बाढ़ सुरक्षा प्रमंडल, अनिसाबाद, पटना को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यार्थ प्रेषित।

13/1/26
(के० डी० प्रौज्जवल)
अपर सचिव

ज्ञापांकः– 29/मुक०–02 बी0–01/2026– 244 पटना, दिनांकः– 14/01/26

प्रतिलिपिः– कार्यपालक अभियंता, जल संसाधन विभाग, आई० टी० सेंटर/ आई० टी० मैनेजर, जल संसाधन विभाग, बिहार, पटना को सूचनार्थ एवं विभागीय वेबसाइट पर अपलोड करने हेतु आवश्यक कार्यार्थ प्रेषित।

13/1/26
(के० डी० प्रौज्जवल)
अपर सचिव